


30-11-2021

पत्रावली पैश डुरी। अपीलान्ट ने स्वयं उपस्थित
होकर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निवेदन
किया कि वह प्रकरण को पूर्ण सहमति
व स्वकृति से विद्रो करना चाहता है।
इस आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली प्रकरण
को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।
पत्रावली फौजल शुमार व नम्बर से कम
की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मजमे आम सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
मण्डवर (दौसा)

श्री विचयन
300 सालन के से
न्य
22.07.21

राम्पली नाल मी सा

